न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/394

प्रभू आत्मज सीता जाति मीणा निवासी रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सोहनी बेवा खाना जाति मीणा ।
2. गीता बाई पुत्री खाना जाति मीणा ।
3. सीता बाई पुत्री खाना जाति मीणा ।
4. फूला बाई पुत्री खाना जाति मीणा ।
5. बच्ची बाई पुत्री खाना जाति मीणा ।
6. फोरी बाई पुत्री खाना जाति मीणा ।
7. लाला आत्मज खाना जाति मीणा ।
8. रामकिशन आत्मज सीता जाति मीणा ।
9. काली बाई पुत्री सीता जाति मीणा ।
10. धापू बाई पुत्री सीता जाति मीणा ।
11. मनभर बाई पुत्री सीता जाति मीणा ।
12. मोत्या बाई बेवा सीता जाति मीणा ।
13. कमला देवी बेवा रामरतन जाति मीणा ।
14. अशोक आत्मज रामतन जरिये नाबालिग संरक्षक माता कमला देवी ।
15. बलवीर सिंह आत्मज रामरतन जाति मीणा ।
16. सुशीला पुत्री रामरतन जाति मीणा ।
17. आशा पुत्री रामरतन नाबालिग जरिये संरक्षक माता कमला देवी ।
18. दाखां बेवा फून्दा जाति मीणा ।
19. नन्दा आत्मज फून्दा जाति मीणा ।
20. श्रवण आत्मज फून्दा जाति मीणा ।
21. बजरंगा आत्मज फून्दा जाति मीणा ।
22. रामसिंह आत्मज फून्दा जाति मीणा ।
23. नन्दू पुत्री फून्दा जाति मीणा ।
24. बदाम पुत्री फून्दा जाति मीणा ।
25. मोहनी पुत्री फून्दा जाति मीणा निवासीगण रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
26. राजस्थान राज्य श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, शम्मूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 131 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 133 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 135 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 136 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 137 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 138 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 139 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 141 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 142 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 143 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 144 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 145 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 25 कुल रकबा 77 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 11 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 12 से 19 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है । पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का विभाजन विधिवत नहीं हुआ है । विधिवत विभाजन के बिना पक्षकारान को काश्त करने लगान आदि जमा कराने में कठिनाई आती है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीगण के हिस्से 1/3 का पृथक खाता कायम किया जावे एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 24.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण जवाब काउन्टर क्लेम की स्टेज पर चल रहा था दिनांक 15.12.2014 को काउन्टर

क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया था । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा विधिवत राजीनामा पेश नहीं किया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी डिक्री करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.06.2015 को हुई जिस पर अन्य वकील नियुक्त कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के विभाजन कराने के अधिकारी नहीं हैं । वादी का 1/3 हिस्से पर कब्जा नहीं है । वादीगण ने 1/3 हिस्से पर भूमि विकास बैंक से ऋण लिया हुआ था । उनके हिस्से की भूमि, भूमि विकास बैंक के रहन थी । वादीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि पर जो उनके द्वारा ऋण लिया गया था उसे नहीं चुका पाये थे । ऐसी स्थिति में भूमि विकास बैंक द्वारा वर्ष 2006 में वादीगण के हिस्से की भूमियों को कुर्क व नीलाम करने की कार्यवाही की गई । तब वादीगण की सहमति से उनके कर्जे की राशि अपीलान्टगण ने चुका दी और आपसी सहमति से आराजी को अपीलान्टगण को बेचान किया जाना माना गया । बाद में रजिस्ट्री कराने का कथन किया । बैंक द्वारा राशि जमा होने की रसीद जारी की ई जिस पर जमाकर्ता के स्थान पर प्रभू के हस्ताक्षर हैं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादीगण के जवाबदावे पर विचार नहीं कर दावा डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.06.2015 को लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित की है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । दिनांक 01.06.2015 को प्रभूलाल अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । अपीलान्टगण ने जिस कथन के आधार पर आपत्ति पेश की है यदि इनके कथन को सही मान लिया जावे तो भी बैंक का कर्जा चुकाने से वादग्रस्त आराजी में वादीगण के अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते । अपीलान्टगण के पास वादग्रस्त आराजी के बाबत् कोई विधिक दस्तावेज नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 बहाल रखा जावे।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय

मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब काउन्टर क्लेम के बाद साबिक कार्यवाही में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दिनांक 24.06.2015 को न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उभय पक्षकारान द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा